ಫ್ಯಾ,ಕ್ಸ,/फैक्स/Fax :080-22244161 ಮ್ಮ,ಲ/ई-मेलE-mail : ro.bangalore1@epfindia.gov.in ಫೋನ ফोन/PH :080-22216566

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಸಚಿವಾಲಯ , ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
(Ministry of Labour and Employment, Government of India)
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು/ क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office, Bengaluru(Central)
ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ ಭವನ, ಸಂಖ್ಯೆ 13 ರಾಜಾರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ / भविष्य निधि भवन, सं°13 , राजा राम मोहन रॉय रोड
Bhavishya Nidhi Bhawan, No. 13, Raja Ram Mohan Roy Road,
ಬೆಂಗಳೂರು-560025 बेंगलूरु560025 - Bengaluru – 560025

सं. बीजी/बी एन जी/क्षे.का.(सेंट्रल)/छूट/थर्ड पार्टी ऑडिट/2021-22/ दिनाँक : 14 .12.2021

रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)
चार्टर्ड एकाउंटेंट कंपनियों का पैनल
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.)
क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु (सेंट्रल) के लिए

1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत (क.भ.नि.सं.) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय है। संगठन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, और उसके तहत निर्मित तीन योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार ग्राहकों को वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट www.epfindia.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
2. क.भ.नि.सं.,क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू (सेंट्रल) तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट कंपनियों (10 सीए फर्मों) का एक पैनल बनाने का प्रस्ताव रखती है जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 27 एए के परिशिष्ट "ए" में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के खातों और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के भविष्य निधि ट्रस्ट के खातों की तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा/पुन: लेखा परीक्षा करे तथा जब कभी क.भ.नि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु (सेंट्रल) को आवश्यकता हो संदर्भ की शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट समय के भीतर निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

3. **पात्रता**
   - i. आवेदक कंपनी को कम से कम 10 वर्षों के लिए अस्तित्व में होना चाहिए ।
   - ii. आवेदक कंपनी के पास कम से कम 01 पूर्णकालिक एफसीए के साथ कम से कम 5 पूर्णकालिक भागीदार होने चाहिए।
   - iii. आवेदक कंपनी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पैनल में होनी चाहिए।
   - iv. भागीदारों को आईसीएआई का सदस्य होना चाहिए और उनके पास आईसीएआई द्वारा जारी वैध पूर्णकालिक अभ्यास प्रमाणपत्र होना चाहिए।

v. आवेदक कंपनी के पास सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखा परीक्षा/कर मामलों को संभालने का अनुभव होना चाहिए।

vi. आवेदक कंपनी का पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार कम से कम 75 लाख रुपये होना चाहिए।

vii. आवेदक कंपनी या उसके भागीदारों को पिछले 5 वर्षों के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (संशोधित) के तहत किसी भी पेशेवर कदाचार का दोषी नहीं ठहराया गया हो या आईसीएआई या किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा किसी भी कर कानून के तहत दंडित नहीं किया गया हो।

viii. किसी भी कर कानून के उल्लंघन के लिए आवेदक कंपनी या उसके भागीदारों से किसी भी कर प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की जांच या पूछताछ नहीं की गई हो।

4. <u>चयन प्रक्रिया:</u>

क) अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों की जांच योग्य कंपनियों को तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की जाएगी।

ख) एक बार जब एक कंपनी को योग्य घोषित कर दिया जाता है तो शीर्ष 10 कंपनियों का चयन विभिन्न मानदंडों पर प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अंक प्रणाली इस प्रकार होगी -

क्र सं	पात्रता	अंक
1.	कंपनी का अनुभव	10 वर्ष से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 0.5 अंक - अधिकतम 15 अंक
2.	पूर्णकालिक एफसीए भागीदार	पहले भागीदार के लिए 5 अंक और दूसरे भागीदार से आगे के लिए 2.5 अंक ।
3.	पूर्णकालिक एसीए भागीदार	पहले 5 भागीदारों के लिए प्रत्येक के लिए 3 अंक और छठे से आगे के लिए प्रत्येक के लिए 1.5 अंक।
4.	पूर्णकालिक सीए कर्मचारी	प्रत्येक सीए के लिए 1 अंक-अधिकतम 20 अंक
5.	टर्नओवर	75 लाख से ऊपर प्रत्येक लाख के लिए 1 अंक

वे कंपनियाँ, जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

ग) क.भ.नि.सं.,आवश्यकतानुसार पैनल में नई कंपनियों को शामिल कर सकती है।

5. <u>कार्य की प्रकृति :</u>

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 27 एए के परिशिष्ट "ए" में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के खातों और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के भविष्य निधि ट्रस्ट के खातों की तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा/पुन: लेखा परीक्षा करना तथा जब कभी क.भ.नि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु (सेंट्रल) को आवश्यकता हो संदर्भ की शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट समय के भीतर निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

6. <u>आवेदन पत्र :</u>

इच्छुक पक्ष अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न आवेदन प्रारूप में, नीचे दिए गए घोषणा के साथ आवेदन कर सकते हैं:

मैं ____________________ मेसर्स ______________________________ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का प्रबंध भागीदार एतद्द्वारा सत्यापित और घोषित करता हूं :-

a) कि ऊपर दिए गए विवरण पूर्ण और सही हैं और यदि आवेदन पत्र में दिए गए किसी भी विवरण या इस प्रकार दी गई जानकारी को बाद में सही नहीं या गलत पाया जाता है या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया है, तो कंपनी को पैनल में शामिल करने/कार्य के आबंटन हेतु अयोग्य ठहराया जाएगा और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

b) आवेदक कंपनी या उसके भागीदारों को पिछले पांच वर्षों के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (यथा संशोधित) के तहत किसी भी पेशेवर कदाचार का दोषी नहीं ठहराया गया है या आईसीएआई या किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा किसी भी कर कानून के तहत दंडित नहीं किया गया है ।

c) किसी भी कर कानून के उल्लंघन के लिए आवेदक कंपनी या उसके भागीदारों ने किसी भी कर प्राधिकरण द्वारा किसी भी जांच या पूछताछ का सामना नहीं किया है।

d) मैं और अन्य भागीदार चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पूर्णकालिक अभ्यास में हैं।

मुहर के साथ कंपनी के प्रबंध भागीदार का नाम और हस्ताक्षर

7. लिफाफे पर "गोपनीय - चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के पैनल के लिए - ईओआई" लिखा होना चाहिए।

आवेदन मुहरबंद लिफाफे में निम्नलिखित पते पर भेजे जाएँ :

क्षेत्रीय भ नि आयुक्त-I,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
क्षेत्रीय कार्यालय,बेंगलुरु (सेंट्रल)
भविष्य निधि भवन, सं 13,
राजा राम मोहन रॉय रोड, बेंगलूरु-560025.

8. ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 07.01.2022 अपराहन 5.00 बजे तक है।

अनुलग्नक - ए

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कंपनियों के पैनल के लिए आवेदन

क्र सं	विवरण	टिप्पणियां
1.	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कंपनी का नाम	
2.	कंपनी की पंजीकरण संख्या (आईसीएआई)	
3.	कंपनी के गठन की तिथि और आईसीएआई द्वारा जारी कंपनी का संविधान प्रमाण पत्र	प्रति संलग्न की जाए
4.	नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पैनल में शामिल होने का प्रमाण	
5.	भागीदारों का नाम और अभ्यास का प्रमाण पत्र	
6.	भागीदारों की सदस्यता संख्या और अभ्यास का प्रमाण पत्र।	प्रति संलग्न की जाए
7.	टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स सहित ईमेल पते के साथ प्रधान कार्यालय और शाखा का पूरा पता ।	
8.	कंपनी का आयकर पैन	प्रति संलग्न की जाए
9.	कंपनी के साथ पूर्णकालिक पेशेवरों की संख्या क. पूर्णकालिक एफसीए भागीदार ख. पूर्णकालिक एसीए भागीदार ग. पूर्णकालिक सीए कर्मचारी	
10.	क्या कंपनी/साझेदार के खिलाफ कोई न्यायालय/मध्यस्थता या कोई अन्य कानूनी मामला/कार्यवाही लंबित है।	
11.	पिछले 3 वर्षों के लिए कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार	
12	वर्ष 2021-22 के लिए आईसीएआई से सदस्यता शुल्क और अभ्यास प्रमाण पत्र के भुगतान का प्रमाण।	प्रति संलग्न की जाए
13.	निम्नलिखित क्षेत्रों में लेखापरीक्षा कार्य अनुभव को सूचित करें: क. पीएसयू ख. सरकार (केंद्र/राज्य) ग. निजी	

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್/फैक्स/Fax:080-22244161 ಇ-ಮೇಲ್/ई मेल /E-mail: ro.bangalore1@epfindia.gov.in ದೂರವಾಣಿ/फोन/PH:080-22216566

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆ / कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆಂಟ್ರಲ್)

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलूरु (सेंत्रल)

(Ministry of Labour and Employment, Government of India) RO, BENGALURU (CENTRAL)

ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ ಭವನ್, ಸಂ 13, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560025.

भविष्यनिधि भवन, सं. 13, राजाराम मोहन रॉय रोड, बैंगलूर - 560025.

Bhavishyanidhi Bhavan, No. 13, Rajaram Mohan Roy Road, Bengaluru – 560025.

BG/BNG/RO/CENTRAL/EXEM/Third-party Audit/2021-22/ Date. 14.12.2021

EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
Empanelment of Chartered Accountant Firms
Employees' Provident Fund Organisation (EPFO)
for Regional Office, Bengaluru (CENTRAL)

1. The Employees' Provident Fund Organization, India (EPFO) is an autonomous body under the aegis of the Ministry of Labor and Employment, Government of India. The main objective of the organization is to provide old-age social security to the subscribers as per the Provisions of EPF & MP Act, 1952 and the three schemes famed there under. For further information about EPFO, one may visit the website www.epfindia.gov.in.

2. EPFO, Regional Office, Bengaluru (Central), proposes to form a panel of Chartered Accountant Firms (10 CA firms) for initial period of three years for carrying out the third Party Audit/ Re-audit of books of Accounts of the Exempted establishments and Accounts of Provident Fund Trusts of the Exempted establishment as per the conditions specified in Appendix 'A' to Para 27 AA of EPF Scheme 1952, as and when required by the EPFO, Regional Office, Bengaluru (Central) and to submit report in the Performa prescribed for the same, within the time specified as per the terms of reference.

3. **Eligibility:**
   - i. Applicant firm should be in existence for at least 10 years
   - ii. Applicant firm should have at least 5 full time partners with at least 1 full time FCA.
   - iii. Applicant firm should be on the panel of C&AG.
   - iv. The partners must be member of ICAI and should have valid full-time certificate of practice issued by ICAI.
   - v. Applicant firm must have experience of auditing accounts/ handling tax matters of Govt. Organizations/ PSEs.
   - vi. Average annual turnover of the applicant firm for the last 3 years should be at least Rs 75 lakhs.

vii. Applicant firm or its partners should not have been held guilty of any professional misconduct under Chartered Accountants Act, 1949 (as amended) during past 5 years or penalized under any of the tax laws by ICAI or any other statutory body.

viii. Applicant firm or its partners should not be facing any investigations or enquiry by any tax authority for violation of any of the tax laws.

4. Selection Procedure:

(a) All the applications received up to the last date shall be scrutinized by a Committee appointed by the competent authority to decide the eligible firms.
(b) Once a firm is declared as eligible then top 10 firms will be selected on the basis of points scored on different criteria. Point system will be as follows:

Sl.No	Eligibility	Points
1	Experience of firm	0.5 point for every calendar year from 10 years onwards - Maximum 15 points
2	Full Time FCA partner	5 points for first partner and 2.5 points from 2nd partner onwards.
3	Full Time ACA partner	3 points each for first 5 partners and 1.5 points each for 6th onwards.
4	Full time CA employees	1 point for every CA-Maximum 20 point
5	Turnover	1 point for each lakh 1 above 75 lakhs

Those firms, who do not meet the eligibility criteria, shall not be evaluated.

(c) EPFO, in case of necessity can add new firms in the panel.

5. Nature of Work:

To carry out the Third-Party Audit/Re-audit of books of accountsof such Exempted establishments and Accounts of Provident Fund Trusts of the Exempted establishment as per the conditions specified in Appendix "A" to Para27 AA of EPF Scheme, 1952 as and when required by the EPFO, Regional Office, Bengaluru (Central) and to submit report in the Performa prescribed for the same, within the time specified as per the terms of reference.

6. Application form:

Interested parties may apply in the application format enclosed as **Annexure 'A'** along with the undertaking in the format as below:

I............................... the Managing partners of M/s... ....Chartered Accountants do hereby verify, declare and undertake:

a) That the particulars given above are complete and correct and that if any of the statements made or the information so furnished in the application formis later found not correct or false or there has been suppression of material information, the Firm would stand disqualified from empanelment/allotment of

work and might be liable for disciplinary action under the Chartered Accountants Act, 1949 and the regulations framed thereunder.

b) Applicant firm or its partners should not have been held guilty of any professional misconduct under Chartered Accountants Act, 1949 (Asamended) during past five years or penalized under any of the tax law byICAI or any other statutory body.

c) Applicant firm or its partners should not be facing any investigation or enquiry by any tax authority for violation of any of the tax laws.

d) That I and other partners are in full time practice of Chartered Accountants.

Name & Signature of the Managing Partner of the Firm with Seal.

7. EOI should be superscripted as **"Confidential-EOI for Empanelment of Chartered Accountant Firms"**

To be submitted in a sealed envelope and addressed to:
The Regional PF Commissioner-I
Employees' Provident Fund Organisation
Regional Office, Bengaluru (Central)
Bhavishya Nidhi Bhawan, No.13
Raja Ram Mohan Roy Road, Bengaluru-560025.

8. **The last date for submission of EOI is on or before 07.01.2022 @ 5:00 P.M.**

Annexure-A

Application for empanelment of Chartered Accountants Firms for Employees' Provident Fund Organisation.

Sl.No	Particulars	Remarks
1.	Name of the chartered Accountants Firm	
2.	Registration no. (ICAI) of the Firm	
3.	Date of constitution of the firm and constitution certificate of the firm issued by the ICAI	Copy to be enclosed
4.	Proof of empanelment of C & AG	
5.	Name of the Partners and certificate of practice	
6.	Membership no. of the partners and certificate of practice.	Coy to be enclosed
7.	Complete full address of the Head Office and the Branch with telephone/mobile/fax with email address.	
8.	Income Tax Pan of the Firm	Copy to be enclosed
9.	No of full-time professionals with the Firm a. Full time FCA partners b. Full time ACA partners c. Full time CA employees	
10.	Whether there are any Court/arbitration or any other Legal case/proceedings pending against the Firm/Partner.	
11.	Average Annual turnover of the firm for last 3 years	
12	Proof of payment of membership fee and certificate of practice from ICAI for the year 2021-22.	Copy to be enclosed
13.	Indicate the Audit work experience in the following Sectors: a. PSU b. Government (Central/State) c. Private	